199

न्यायालयश्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवाँ म.प्र.

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

C.F. Rs.20/-

754
19.11.12

कन्हैयालाल बाजपेयी तनय स्व. रामेश्वर प्रसाद बाजपेयी उम्र वर्ष नि.ग्राम रतहरा, तह. हुजूर, जिला-रीवा म.प्र. ---निगरानीकर्ता/आवेदक

R.4300-II/12

बनाम

अधिवक्ता श्री दिवाकर सोहगौरा द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 19.11.12

श्यामकिशोर बाजपेयी तनय स्व. चन्द्रभूषण प्रसाद बाजपेयी उम्र वर्ष निवासी रतहरा, तह.हुजूर, जिला-रीवा म.प्र.--- गैरनिगरानीकर्ता/ अनावेदक

19/11/12

निगरानी विरुद्ध आदेश अपरआयुक्त महो. रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण, क्र. 71/निगरानी/10 -11 मे पारित आदेश दि.17.7.12

अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा.सं.सन् 1975

10-12-12

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आराजी नं.240 रकबा 1.10 ए. स्थित ग्राम रतहरा पटवारी हल्का समान तह. हुजूर, जिला-रीवा म.प्र. प्रार्थी /निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की आराजियात है, जो राजस्व अभिलेखों मे विधिवत प्रार्थी निगरानीकर्ता के नाम दर्ज चली आ रही थी, किन्तु गैरनिगरानीकर्ता द्वारा बिना हक व अधिकार के तथा बगैर किसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.4300–II/12 जिला–रीवा

कन्हैयालाल बाजपेयी/श्याम किशोर बाजपेयी

(1)	(2)	(3)
25.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	